

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 381 ]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल 2025 — वैशाख 5, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 अप्रैल 2025

अधिसूचना

File No.: GENCOR-35010/391/2025-COMM. & INDUS.— चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि औद्योगिक विकास नीति 2024–30 की कंडिका (12.29) में उल्लेखित मंत्री मण्डलीय उप समिति के गठन के प्रावधान में हुई त्रुटि को दूर करना आवश्यक है,

अतएव औद्योगिक विकास नीति 2024–30 की कंडिका (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्

संशोधन

औद्योगिक विकास नीति 2024–30 की कंडिका (12.29) में दर्शित सारणी के स्थान पर, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्—

- “(1) मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़—अध्यक्ष
- (2) मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग—सदस्य
- (3) मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग—सदस्य
- (4) मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग—सदस्य
- (5) मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, अन्य विभाग यथा आवश्यक—सदस्य (विशेष आमंत्रित)।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के भारसाधक सचिव इस उप समिति के संयोजक होंगे।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रजत कुमार, सचिव.